कार्यालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :–श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

प्र0 – 49/2024

प्रार्थीगण :–
1. सोनु } पुत्रान दलीपसिंह जाति मेघवाल निवासी डावडी तहसील भादरा
2. मोनू }
3. अन्नू कुमारी पुत्री दलीपसिंह जाति मेघवाल निवासी डावडी तहसील भादरा।
4. दर्शनादेवी पत्नी दलीपसिंह जाति मेघवाल निवासी डावडी तहसील भादरा।

:–प्रार्थीगण

बनाम्

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:–अप्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :–श्री नरेन्द्र शर्मा प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 245/62 के खसरा सं0 109, 174, 206, 208/697 कुल 9.0920है0 कृषि भूमि में सोहन पुत्र दलीपसिंह, मोहन पुत्र दलीपसिंह, राजबाला पुत्री दलीपसिंह व दर्शनलता पत्नी दलीपसिंह में प्रत्येक के नाम 1/80–1/80 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के सही नाम सोनु, मोनू पुत्रान दलीपसिंह व अन्नू कुमारी पुत्री दलीपसिंह व दर्शनादेवी पत्नी दलीपसिंह के स्थान पर पर अशुद्ध नाम सोहन पुत्र दलीपसिंह, मोहन पुत्र दलीपसिंह, राजबाला पुत्री दलीपसिंह व दर्शनलता पत्नी दलीपसिंह दर्ज है।

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास बुक एंव अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एंव वास्तविक नाम सोहन पुत्र दलीपसिंह, मोहन पुत्र दलीपसिंह, राजबाला पुत्री दलीपसिंह व दर्शनलता पत्नी दलीपसिंह दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि का सही प्रकार से उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम की शुद्वि करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। जिसमें बहस के दौरान कथन किया कि रोही मौजा डाबडी के खाता सं0 245/62 के खसरा सं0 109, 174, 206, 208/697 कुल 9.0920है0 कृषि भूमि में सोहन पुत्र दलीपसिंह, मोहन पुत्र दलीपसिंह, राजबाला पुत्री दलीपसिंह व दर्शनलता पत्नी दलीपसिंह में प्रत्येक के नाम 1/80–1/80 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थीगण के सही नाम सोनु पुत्र दलीपसिंह, मोनू पुत्र दलीपसिंह व अन्नू कुमारी पुत्री दलीपसिंह व दर्शनादेवी पत्नी दलीपसिंह के स्थान पर पर अशुद्ध नाम सोहन पुत्र दलीपसिंह, मोहन पुत्र दलीपसिंह, राजबाला पुत्री दलीपसिंह व दर्शनलता पत्नी दलीपसिंह दर्ज है, अतः प्रार्थी का अशुद्ध नाम सोहन पुत्र दलीपसिंह, मोहन पुत्र दलीपसिंह, राजबाला पुत्री दलीपसिंह व दर्शनलता पत्नी दलीपसिंह के स्थान पर प्रार्थीया का सही नाम सोनु पुत्र दलीपसिंह, मोनू पुत्र दलीपसिंह व अन्नू कुमारी पुत्री दलीपसिंह व दर्शनादेवी पत्नी दलीपसिंह दर्ज किया जावें ताकि प्रार्थीया अपनी वाद भूमि का सही उपयोग उपभोग कर सके।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:15:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत ...जों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार ...से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार ...जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार ...दरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा डावडी के खाता सं0 245/62 के ...सरा सं0 109, .174, 206, 208/697 कुल 9.0920है0 कृषि भूमि में सोहन पुत्र दलीपसिंह, ...ोहन पुत्र दलीपसिंह, राजबाला पुत्री दलीपसिंह व दर्शनलता पत्नी दलीपसिंह में प्रत्येक के ...नाम 1/80–1/80 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है उक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम सोहन पुत्र दलीपसिंह के स्थान पर सोनु पुत्र दलीपसिंह, मोहन पुत्र दलीपसिंह के स्थान पर मोनू पुत्र दलीपसिंह, राजबाला पुत्री दलीपसिंह के स्थान पर अन्नू कुमारी पुत्री दलीपसिंह व दर्शनलता पत्नी दलीपसिंह के स्थान पर दर्शनादेवी पत्नी दलीपसिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। तथा यदि पूर्व में किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि सोहन पुत्र दलीपसिंह, मोहन पुत्र दलीपसिंह, राजबाला पुत्री दलीपसिंह व दर्शनलता पत्नी दलीपसिंह के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम सोहन पुत्र दलीपसिंह, मोहन पुत्र दलीपसिंह, राजबाला पुत्री दलीपसिंह व दर्शनलता पत्नी दलीपसिंह ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 18/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:15:37 IST
Reason: SelfAttested